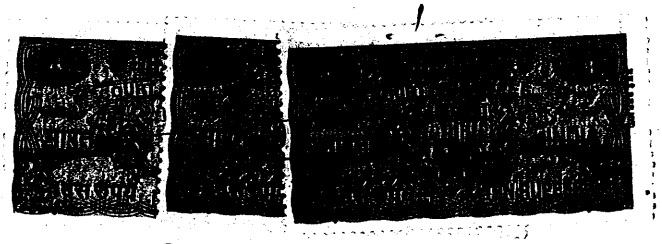

130

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्र.क्र. /2017 R 610 - II/17

श्री जितेन्द्र सिंघई अभि. द्वारा आज दि. 9-2-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुतरो पुत्री कुन्दन आदिवासी निवासी-ग्राम भानगढ़, तह. बीना व जिला सागर म.प्र.

............आवेदिका

बनाम

म.प्र.शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

उपरोक्त नामांकित आवेदिका न्यायालय श्रीमान कलेक्टर सागर के प्रकरण क्रमांक 28/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2013 से परिवेदित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रही हैः-

1. यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम भानगढ़ मौजा गुरयाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 18,19 रकवा क्रमशः 0.70,0.48 हेक्टे. भूमि राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी हक में आवेदिका के नाम पर दर्ज है जिसमें से 0.40 हैक्टे. भूमि को विक्रय किये जाने हेतु आवेदिका द्वारा अनुमति प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसकों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही किये जाने के उपरांत निरस्त कर दिया गया है जिस कारण आवेदिका की यह निगरानी ससख्त आधारों पर प्रस्तुत है।
2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विधि विपरीत तरीके से उपयोग करते हुये विधि विरुद्ध कार्यवाही कर आदेश किया गया है जो कि कानूनन वैध नहीं है।
3. यहकि, आवेदिका द्वारा अपना आवेदन पत्र भूमि विक्रय अनुमति प्राप्त करने हेतु इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि वाद ग्रस्त भूमि पूर्णतः उपजाऊ भूमि नहीं हैं तथा उनको कृषि कार्य करने में अत्यंत

(जितेन्द्र सिंघई एड. 94251-71223 7000853503)

पुतरो विरूद्व म.प्र.शासन

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-610/–एक/17.....जिला .....सागर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.2.17	1– आवेदिका के अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंधई उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। 2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर सागर जिला सागर म0प्र0 के प्र. क्र. 28/अ–21/वर्ष 13–14 में पारित आदेश दिनांक 30/11/13 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदक की भूमि ग्राम मौजा गुरयाना तह. बीना जिला सागर स्थित खसरा क्र 18, 19 रकवा क्रमशः 0.70, 0.48 हे भूमि आवेदिका के नाम पर दर्ज भूमि है। उक्त प्रश्नाधीन भूमि में से रकवा 0.40 हे को विक्रय किए जाने की अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु एक आवेदन पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजों सहित कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे कलेक्टर सागर द्वारा जांच प्रतिवेदन हेतु तहसीलदार सागर को प्रेषित किया गया तथा अनुविभागीय अधिकारी बीना से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत भी कलेक्टर सागर द्वारा आवेदिका का आवेदन पत्र निरस्त किए जाने का आदेश पारित किया गया है जिस कारण यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आवेदिका द्वारा जो भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया था वह इस आधार पर दिया था कि आवेदिका प्रश्नाधीन भूमि अनउपजाउ है जिस कारण से उनको उसपर काश्तकारी करने में अत्याधिक कठनाई हो रही है तथा वह ठीक तरीके से काश्तकारी नहीं कर पा रहे है जिस कारण से उनको आर्थिक हानि हो रही है इस कारण से वह	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	इस भूमि को विक्रय कर अन्य स्थान पर कृषि योग्य भूमि क्रय करना चाहते हैं जिससे वह अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सकें। उनके द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदिका का स्वास्थ अत्याधिक लंबी अवधि से खराब चल रहा है तथा उसको अपना ठीक तरीके से उच्च स्तर पर इलाज कराने हेतु पैसों की आवश्यकता है। आवेदिका का यह भी तर्क है कि चूंकि वह भूमि विक्रय करने के उपरान्त अपने निवास स्थान के समीप हे अन्य भूमि क्रय करेगे इस प्रकार उनके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी बल्कि उनके पास ज्यादा भूमि हो जायेगी। साथ ही साथ विक्रय उपरांत भी आवेदक के पास इन्ही खसरा क्रमांक अन्य भूमि शेष रहेगी उक्त आधार पर उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि की विक्रय की अनुमति दिया जाना न्यायसंगत बताते हुए निगरानी को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है । 4— आवेदिका के विलंब माफ किए जाने के तर्कों पर विचार कर प्रस्तुत न्याय दृष्टांत एम.पी.एल.जे. 2015 भाग 4 सुप्रीम कोर्ट कार्यपालन अधिकारी अंतीपुर नगर पंचायत विरूद्व जी आरूमुगम न्याय दृष्टांत के परिपेक्ष्य में निगरानी में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है। 5— उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदिका द्वारा विक्रय की जा रही भूमि आवेदिका के नाम पर दर्ज भूमि है। तहसीलादार प्रतिवेदन के बिन्दुओं के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि का कुछ रकवा कृषि कार्य हेतु उपयुक्त नहीं है। साथ ही साथ प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय करने के उपरांत आवेदिका के पास अन्य भूमि शेष बचती है जिससे वह पूर्ण रूप से भूमिहीन नहीं हो रही है। तथा आवेदिका द्वारा इस न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया है कि आवेदिका प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय कर उसके स्थान पर विक्रय की जा रही भूमि के बराबर अथवा उससे अधिक अन्य भूमि अपने अपने निवास स्थान	

तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	के समीप क्रय करेगा इस प्रकार उनके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवेदकि द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।	
	6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30/11/13 निरस्त किया जाता है तथा आवेदिका को मौजा गुरयाना स्थित भूमि खसरा क्र 18 रकवा 0.70 हे भूमि में से रकवा 0.40 हेक्टेयर भूमि को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उप पंजीयक विक्रय पत्र संपादित होने के दिनांक को प्रचलित शासन की गाईडलाईन के मान से विक्रयधन विक्रेता को अदा होने की संतुष्टि कर विक्रय पत्र संपादित करें ।	
	सदस्य	